प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **100 / 2025** (अपील सूचना का अधिकार)
Sandeep Arora Add: 132, Mahaveer Colony, Bedla road, Badgaon, Udaipur

...............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार खेरवाड़ा, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28/07/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 3299220907537768 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 19.05.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना न देने दिये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 4977445771 दिनांक 02.07.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 100 / 25 / 646–47 दिनांक 02.07.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा जरिये पत्रांकः प्रथम अपील / स्था / 2025 / 128 दिनांक 28.07.2025 से अपीलार्थी को सूचना प्रेषित करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उनके द्वारा तहसील खेरवाड़ा मे नायब तहसीलदार पद पर कार्य अवधि दिसम्बर 1995 से सितम्बर 1997 का जी.ए. 55 चाहा गया है। पूर्व में आवेदनकर्ता द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत संख्या 10200788790425 दर्ज कर उक्त सूचना चाही गई थी, उस दौरान कार्यालय के समस्त रिकार्ड की जांच कर उपलब्ध सूचना कार्यालय के पत्रांक लेखा / 2021 / 48 दिनांक 24.02.2021 के द्वारा मेल द्वारा प्रेषित कर दी गई थी। वर्तमान में आवेदनकर्ता द्वारा उक्त सूचना पुनः चाही गई है। जिसका विवरण संलग्न तालिका अनुसार है। शेष अवधि का रिकॉर्ड 30 वर्ष पुराना होकर जीर्ण–शीर्ण होकर अपठनीय है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा न्यायालय में प्रेषित प्रत्युत्तर के विपरीत अपीलार्थी की ओर किसी

जिला कलक्टर
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब/सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गयी है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब/सूचना से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाख़िल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/07/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ममित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर